Ll.b.
2semester
Legal history.

D

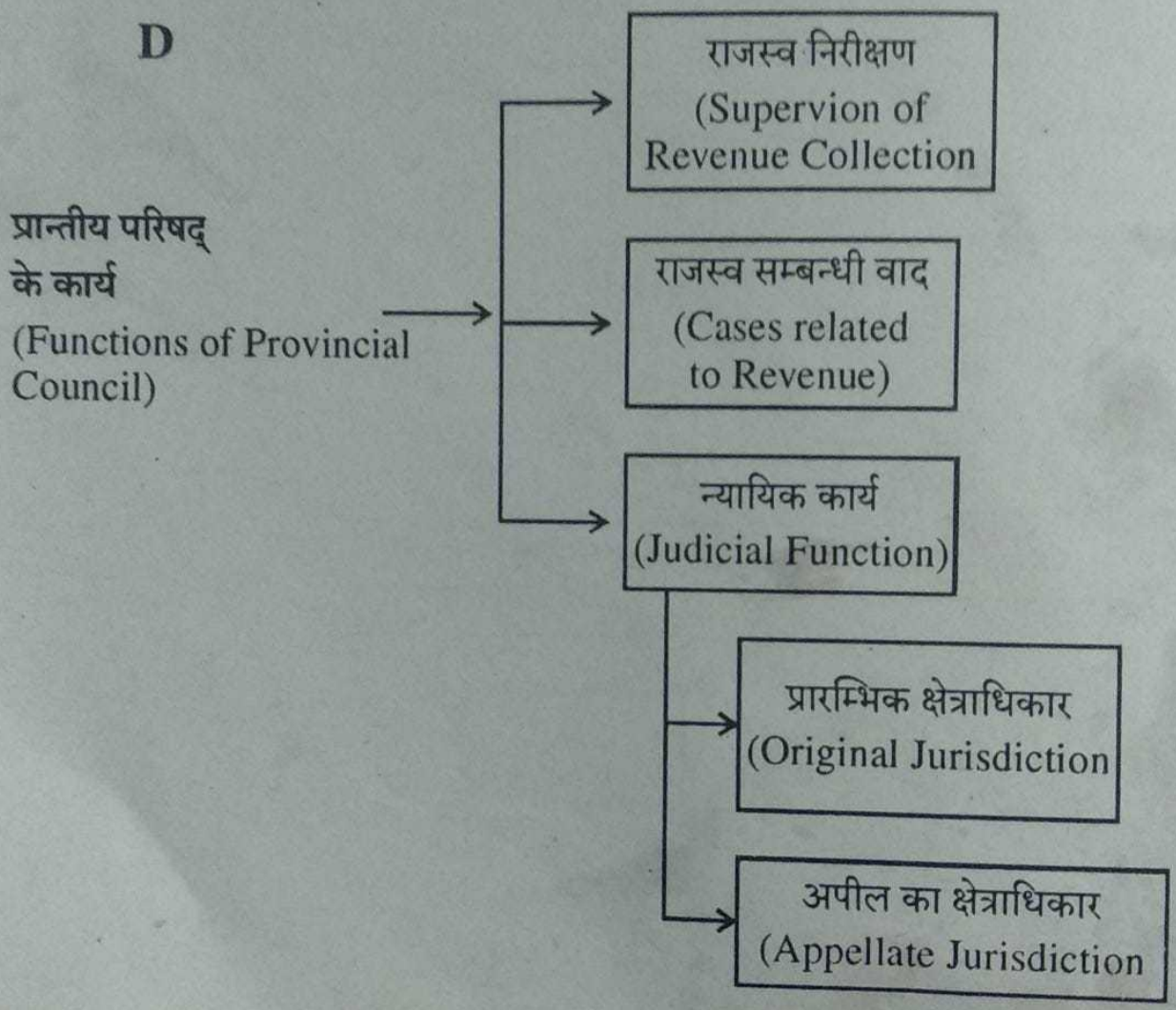
प्रान्तीय परिषद् के कार्य
(Functions of Provincial Council)
राजस्व निरीक्षण
(Supervion of Revenue Collection
राजस्व सम्बन्धी वाद
(Cases related to Revenue)
न्यायिक कार्य
(Judicial Function)
प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार
(Original Jurisdiction
अपील का क्षेत्राधिकार
(Appellate Jurisdiction

प्रान्तीय परिषद के कार्य

1. **प्रशासनिक कार्य**—इसके अन्तर्गत परिषद के द्वारा जिलों की राजस्व वसूली का कार्य देखना।

2. **न्यायिक कार्य**—न्यायिक कार्य के अन्तर्गत परिषद को दो प्रकार के क्षेत्राधिकार था।

(अ) प्रान्तीय जिला मुख्यालय के दीवानी मामलों में मौलिक अधिकार (प्रान्तीय जिला मुख्यालय पर मौफ्फसिल अदालत नहीं थी)

(ब) मौफ्फसिल अदालत से अपील सुनने का अधिकार।

3. **बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना**—कलकत्ता में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई जिसका कार्य दीवानी क्षेत्र के राजस्व वसूली की निगरानी करना था। इसमें सपिरषद राज्यपाल के दो सदस्य नियुक्त किये गये थे। उनकी सहायता के लिए भारतीय कर्मचारियों को भी नियुक्त किया गया था।

4. **दीवानी न्याय प्रशासन**—प्रान्तीय परिषद न्यायालय के रूप में कलकत्ता को छोड़कर पाँचों जिला केन्द्रों बर्दवान, मुर्शिदाबाद, दीनापुर, ढाका और पटना की प्रान्तीय परिषदों को न्याय प्रशासन का कार्य भी करना होता था इसलिए इसे प्रान्तीय न्यायालय (Provincial court) भी कहा जाता था।

व्यक्तिगत विधि की व्याख्या करने के लिए भारतीय विधि अधिकारी पण्डित एवं काजी की नियुक्ति की गई थी।

प्रान्तीय जिला मुख्यालय पर मौफ्फसिल दीवानी अदालतों की संरचना नहीं की गई थी क्योंकि यहाँ प्रान्तीय परिषद (न्यायालय) स्थापित किये गये थे इस न्यायालय को इस जिले के दीवानी वादों पर मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त था। इसे प्रान्त के अन्य जिलों के मौफ्फसिल अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार भी था (यह एक अपीलीय न्यायालय भी था) एक हजार रुपये तक के मूल्यांकन वाले वादों में इसका निर्णय अन्तिम होता था। एक हजार रुपये से अधिक मूल्यांकन के वादों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सदर दीवानी अदालत में भी की जा सकती थी।

मौफ्फसिल दीवानी अदालत—जिलों की मौफ्फसिल दीवानी अदालत के न्यायाधीश को हटाकर उसके स्थान पर एक भारतीय अधिकारी जिसे अमीन या दीवान कहा गया को नियुक्त किया। इस अदालत से सभी वादों के निर्णय के विरुद्ध अपील प्रान्तीय न्यायालय को की जा सकती थी। (1772 में मौफ्फसिल अदालत से अपील 500 रु. से ज्यादा के मूल्यांकन के वादों के निर्णय के विरुद्ध की जा सकती थी।)

सदर दीवानी अदालत—सदर दीवानी अदालत की संरचना एवं कार्य प्रणाली सन् 1772 जैसी ही रखी गयी थी। प्रान्तीय परिषदों (न्यायालय) से 1000 रु. के मूल्यांकन के वादों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनती थी।

राजस्व प्रशासन—प्रान्तीय परिषद की निगरानी में जिले का दीवान या अमीन राजस्व वसूली करता था। अपने क्षेत्र में प्रान्तीय परिषद् राजस्व वसूली के लिये उत्तरदायी थी। प्रान्तीय परिषदों को राजस्व वसूली कर कार्य राजस्व बोर्ड (Revenue Board) के नियन्त्रण और देखभाल में करना होता था।

आपराधिक न्याय प्रशासन—कलेक्टर का मौफ्फसिल फौजदारी अदालत तथा सपरिषद महाराज्यपाल का सदर फौजदारी अदालत से सुपरविजन (Supervision) समाप्त हो गया। सदर फौजदारी अदालत को कलकत्ता से मुर्शिदाबाद स्थानान्तरित कर दिया गया।